राजस्व वाद संख्या–22 / 2022
आर.सी.एम.एस नं. :–2022 / 39

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–22 / 2022
आर.सी.एम.एस नं. :–2022 / 39

1. अमर सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
2. इन्द्रा कंवर पत्नी श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
3. गंगा सिंह पुत्र श्री किशनसिह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
4. नारायण सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
5. पप्पू सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
6. मोड़ सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।
8. श्रवण सिह पुत्र श्री तख्त सिंह निवासी धोलेरा नं 1 कालासर बीकानेर।

वदीगण

बनाम

1. अजमेर सिंह पुत्र श्री जोगेद्र सिंह निवासी मलोट मंडी तहसील मुकतसर जिला फिरोजपुर।
2. नायब सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह निवासी मलोट मंडी तहसील मुकतसर जिला फिरोजपुर।
3. पाना कंवर पत्नी श्री नवल सिंह जाति राजपूत निवासी धोलेरा नंबर 1 कालासर बीकानेर।
4. बलदेव सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह निवासी मलोट मंडी तहसील मुकतसर जिला फिरोजपुर।
5. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर।

प्रतिवादगीण

दावा अंतर्गत धारा 53 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अभिभाषक उपस्थितिः–

1. श्री सुनील कुमार थानवी, अभिभाषक वादी संख्या 1,2, 4 ता 8 के लिए।
2. श्री जयचंदलाल सारस्वत, अभिभाषक वादी संख्या 3 के लिए।
3. पेरोकारराज, राज्य के लिए।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद संख्या–22 / 2022
आर.सी.एम.एस नं. :–2022 / 39

–:निर्णयः–

दिनांक–28/6/24

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की अविभाजित कृषि भूमि वाके ग्राम धोलरा नं 1 के खसरा नंबर 122 तादादी 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 123 तादादी 29.4900 हैक्टर, खसरा नंबर 204 तादादी 9.7900 हैक्टर, खसरा नंबर 205 तादादी 1.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 206 तादादी 3.400 हैक्टर, खसरा नंबर 207 तादादी 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 226 तादादी 14.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 94 तादादी 3.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 95 तादादी 10.7600 हैक्टर कुल किता 9 तादादी 73.3300 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में स्थिति वादीगण का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण को बअखज अखबार समन तलब किया गया। राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बाद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में गवाह वादी संख्या 3 गंगा सिंह द्वारा शपथ–पत्र पेश कर जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम धोलेरा नं 1 खाता संख्या नंया 30 प्रदर्शित की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषक वादीगण खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर एकपक्षीय सुनी गयी।

अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की अविभाजित कृषि भूमि वाके ग्राम धोलरा नं 1 के खसरा नंबर 122 तादादी 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 123 तादादी 29.4900 हैक्टर, खसरा नंबर 204 तादादी 9.7900 हैक्टर, खसरा नंबर 205 तादादी 1.3000 हैक्टर, खसरा नंबर 206 तादादी 3.400 हैक्टर, खसरा नंबर 207 तादादी 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 226 तादादी 14.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 94 तादादी 3.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 95 तादादी 10.7600 हैक्टर कुल किता 9 तादादी 73.3300 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के हिस्से व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

में प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः रिकार्डेड हिस्से अनुसार खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

बहस अभिभाषक वादीगण पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित वादगत भूमि में वादी संख्या 1 अमर सिंह का 1901/21999 हिस्सा, वादी संख्या 2 का इन्द्रा कंवर का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2021/7333 हिस्सा, वादी संख्या 4 नारायण सिंह का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 5 पप्पू सिंह का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 6 मोड़ सिंह का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 7 लक्ष्मण का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 8 श्रवण का 506/21999 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, जिसे वादीगण द्वारा खाता विभाजन में प्राप्त करने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है तथा प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से वादीगण अपने संयुक्त खाते की भूमि में से अपना–अपना हिस्सा खाता विभाजन में प्राप्त करने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई विरोध इस संबंध में प्रस्तुत नहीं हैं। अतः प्रकरण में वादीगण के हिस्से अनुसार खाता विभाजन का आदेश दिया जाना न्यायानुमत प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर वाद वादीगण खाता विभाजन की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा खाता विभाजन कि प्राथमिक डिक्री दी जानी मूंजर की जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर, तहसील बीकानेर वाके ग्राम धोलरा नं 1 के खसरा नंबर 122 तादादी 0.7500 हैक्टर, खसरा नंबर 123 तादादी 29.4900 हैक्टर, खसरा नंबर 204 तादादी 9.7900 हैक्टर, खसरा नंबर 205 तादादी 1. 3000 हैक्टर, खसरा नंबर 206 तादादी 3.400 हैक्टर, खसरा नंबर 207 तादादी 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 226 तादादी 14.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 94 तादादी 3.1400 हैक्टर, खसरा नंबर 95 तादादी 10.7600 हैक्टर कुल किता 9 तादादी 73.3300 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 1 अमर सिंह का 1901/21999 हिस्सा, वादी संख्या 2 का इन्द्रा कंवर का 506/21999 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 2021/7333 हिस्सा, वादी

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

राजस्व वाद संख्या–22 / 2022
आर.सी.एम.एस नं. :–2022 / 39

संख्या 4 नारायण सिंह का 506 / 21999 हिस्सा, वादी संख्या 5 पप्पू सिंह का 506 / 21999 हिस्सा, वादी संख्या 6 मोड़ सिंह का 506 / 21999 हिस्सा, वादी संख्या 7 लक्ष्मण का 506 / 21999 हिस्सा, वादी संख्या 8 श्रवण का 506 / 21999 हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी) के आधार पर खाता विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा अलग– अलग रंग से हिस्सा दर्शाते हुए तीन प्रतियों में तैयार कर 15 दिवस में भिजवावें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

(कविता गोदारा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर